

धर्मसिंह वगैरा बनाम सा.नि.वि.  
4

आदेश

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 12-07-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( रवि विजय )  
उपखण्ड अधिकारी  
महवा (दौसा)